भूमि सुधार उप समाहर्ता का न्यायालय पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

टी०ए० मिस केस सं०–52/2017–18

आदेश की तिथि	आदेश	आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद टिप्पणी तारीख साथ
24.07.2017	अभिलेख उपस्थापित किया गया। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर का जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है। सुनवाई की अगली तिथि 11.08.2017 रखें। अभिलेख 11.08.2017 को उपस्थापित करें । 24.7.17 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।	
11.08.2017	अभिलेख उपस्थापित किया गया । अचंल अधिकारी, **चक्रधरपुर** के पत्रांक 645 (बी), दिनांक 27.07. 2017 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जिसका अवलोकन किया। उन्होंने प्रतिवेदित किया है कि आवेदक श्री/श्रीमती **सरद बागती**, पिता/पति **स्व0 शिव चरण बागती**, ग्राम–**आसनतलिया**, थाना–**चक्रधरपुर**, जिला प० सिंहभूम ने छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(प)प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत भूमि हस्तांतरण हेतु आवेदन पत्र दिया है । खतियानी जमीन मौजा–**आसनतलिया**, थाना नं०–**88**, खाता नं०–**282**, प्लॉट नं०–**1427**, रकवा–**0.06 ए0**, क्रेता श्री/श्रीमती–**दिनेश बागती**, पिता/पति–**काया बागती**, ग्राम–**आसनतलिया**, थाना–**चक्रधरपुर**, जिला प० सिंहभूम के पास बिक्री करना चाहते है। दोनों पक्षों को सूचना निर्गत किया गया एवं आम इश्तेहार किया गया। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि बिक्री की जानेवाली जमीन आवेदक/आवेदिका–**सरद बागती**, पिता– **स्व0 शिव चरण बागती** के दखल कब्जे में है तथा अपने हक के ही जमीन को क्रेता के पास **3,60,000/--(तीन लाख साठ हजार)** रूपये में बेचना चाहते है। प्रश्नगत भूमि हाल सर्वे खतियान में रमेश बागती, पिता प्रभा बागती एक अंश तथा गोदा बागती तथा मुगडू बागती, शिव चरण बागती तथा नारायण बागती के नाम पर दर्ज है। विक्रेता से उनका संबंध–**पिता–पुत्र** का है। जमाबन्दी पंजी ।। में खतियानी रैयत के नाम लगान कायम है। आम इश्तहार एवं नोटिस तामिला प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित जमीन को बेचे जाने पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा आज तक किसी भी प्रकार की आपत्ति इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। तामिला प्रतिवेदन अभिलेख के साथ संलग्न है। बिक्रेता एवं क्रेता अंचल एवं थाना–**चक्रधरपुर** के निवासी है तथा **"वागती"** **(अ०पि०व०)** समुदाय के सदस्य है। विक्रेता उक्त वर्णित भूमि निजी कार्य हेतु बेचना चाहते है। प्रश्नगत भूमि के बिक्री के पश्चात विक्रेता को जीविकोपार्जन हेतु रकवा–**6.16 ए0** भूमि अवशेष के रूप में बचती है। अंचल अधिकारी, **चक्रधरपुर** द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन, आम इश्तेहार पर आपत्ति प्राप्त नहीं होने तथा अनुशंसा के आलोक में आवेदक/आवेदिका को अपने हक एवं दखल की उपरोक्त जमीन क्रेता श्री/श्रीमती–**दिनेश बागती**, पिता/पति–**काया बागती**, ग्राम–**आसनतलिया**, थाना–**चक्रधरपुर**, जिला प० सिंहभूम के पक्ष में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(i)प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत उक्त भूमि हस्तांतरण करने की **स्वीकृति** दी जाती है। लेखापित भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर 11.8.17 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर	